

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई रॉंची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉंची, दिनांक : 21/10/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत विभिन्न कार्य प्रमंडलों को रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक के षष्ठम लघु सिंचाई योजनाओं की गणना कार्य हेतु रु. 185.62441 (एक करोड़ पचासी लाख बासठ हजार चार सौ एकतालीस मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या-42/18-19, दिनांक 24.12.2018 Online AA-1735/31.12.2018
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-
(लाख रु. में)

क्र.	मॉग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	5	
1.	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 37- रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक	07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50C470200101370759	300.00	86.08919	
2.	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना/ 37-रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक	07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50C470200796370759	200.00	99.53522	
कुल				500.00	185.62441	

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ पचासी लाख बासठ हजार चार सौ एकतालीस मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं 2 में अंकित कार्य प्रमंडलो के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि शत प्रतिशत केन्द्र प्रयोजित योजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. शत-प्रतिशत योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का राख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 एवं 2 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।



20/10/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 68

राँची, दिनांक :- 21/10/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/हजारीबाग/चतरा/मेदिनीनगर/गढ़वा/रामगढ़/धनबाद/बाकारो/कोडरमा/गोड्डा/गिरिडीह/दुमका/देवघर/खूँटी/चाईबासा/जमशेदपुर/लातेहार/लोहरदगा/सरायकेला/गुमला/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/पाकुड़/जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



20/10/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव


ज्ञापांक :- 68

राँची, दिनांक :- 21/10/2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


20/10/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक - ६८

/सँची, दिनांक - 21/10/2020

परिशिष्ट - 1

मॉग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रमाण)

मुख्य शीर्ष - 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष -101-सतही जल,

उपशीर्ष - 37-रेसनलाइजेशन ऑफ माइन एरिगेशन स्टैटिस्टिक

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50C470200101370759

बजट उपबंध (वर्ष 2020-21) रु. 300.00 लाख (तीन करोड) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र०	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2020 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन				योजना पर	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	कुल अद्यतन आवंटन (7+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMMR001)			42 / 18-19 प्र.स्वी. दिनांक-24.12.18 Online AA- 1735/31.12.18	981.4030	0.00000	0.00000	7.87478	7.87478	7.87478	52074		
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, चतरा (CTRMAR001)					0.00000	0.00000	8.07184	8.07184	8.07184	52075		
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMMAR041)					1.10869	0.00000	9.44496	9.44496	10.55365	52076		
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा (GRHMMAR001)	ल.सिं. सँची / दुमका				0.00000	0.00000	6.20322	6.20322	6.20322	52077		
5	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMMAR012)					0.00000	0.00000	2.20868	2.20868	2.20868	52078		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50C470200101370759
बजट उपबंध (वर्ष 2020-21) रु. 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2020 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद (DHNMAR001)					1.19800	0.00000	6.94836	6.94836	8.14636	52080	
7	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो (BKRMAR001)					0.61595	0.00000	4.19900	4.19900	4.81495	52082	
8	लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा (KDMMAR001)					0.99515	0.00000	3.42844	3.42844	4.42359	52086	
9	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा (GDDMAR014)	ल.सिं. सौदा / दुमका	षष्ठम लघु सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य	42/18-19 प्र.स्वी. दिनांक-24.12.18 Online AA-1735/31.12.18	981.4030	2.70000	0.00000	10.74895	10.74895	13.44895	52089	
10	लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह (GRDMAR001)					0.47697	0.00000	13.70508	13.70508	14.18205	52091	
11	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, दुमका शिविर देवघर (DGRMAR001)					0.00000	0.00000	13.25588	13.25588	13.25588	52094	
योग						7.09476	0.00000	86.08919	86.08919	93.18395		

आवंटित राशि - ₹ छियासी लाख आठ हजार नौ सौ उन्नीस मात्र।

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

68
21/10/2020

पत्रांक - 68

/रॉची, दिनांक - 21/10/2020

परिशिष्ट - 2

मॉग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष - 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोगाना,

उपशीर्ष - 37-रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक,

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपन्न कोड 50C470200796370759

बजट उपबंध (वर्ष 2020-21) रु. 200.00 लाख (दो करोड़) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र०	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2020 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन				योजना पर कुल अदातन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, राँची (DRNNMAR001)	क्षेत्रीय सिंचाई विभाग	षष्ठम लघु सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य	42 / 18-19 प्र.स्वी. दिनांक-24.12.18 Online AA- 1735/31.12.18	981.4030	16.06588	0.00000	8.39352	8.39352	24.45940	52096		
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची (RNCMMAR001)					2.86412	0.00000	7.51930	7.51930	10.38342	52097		
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी (RNCIRRK01)					0.00000	0.00000	4.67474	4.67474	4.67474	52098		
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा (SGHMMAR002)					1.04944	0.00000	10.11800	10.11800	11.16744	52100		
5	लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर (JSRMMAR001)					3.56339	0.00000	10.05100	10.05100	13.61439	52102		
6	लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार (LTRMMAR001)					0.00000	0.00000	4.01280	4.01280	4.01280	52104		

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)

सचिव

7	लघु सिंचाई प्रमंडल, लोहरदगा (LDGAR001)	प्रि सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य	42/18-19 प्र.स्वी. दिनांक-24.12.18 Online AA- 1735/31.12.18	981.4030	0.99000	0.00000	2.48000	2.48000	3.47000	52106	
8	लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला (SKLAR033)				0.00000	0.00000	7.52940	7.52940	7.52940	52108	
9	लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला (GMLAR006)				0.93712	0.00000	5.54767	5.54767	6.48479	52110	
10	लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा (SDGMAR001)				1.13520	0.00000	3.01954	3.01954	4.15474	52112	
11	लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKMAR001)	प्रि सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य	42/18-19 प्र.स्वी. दिनांक-24.12.18 Online AA- 1735/31.12.18	981.4030	0.55401	0.00000	15.13110	15.13110	15.68511	52114	
12	लघु सिंचाई प्रमंडल, साहेबगंज (SBJMAR001)				0.00000	0.00000	9.37052	9.37052	9.37052	52116	
13	लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ (PKRMAR001)				3.65653	0.00000	5.67400	5.67400	9.33053	52117	
14	लघु सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा (JMTMAR022)				0.73500	0.00000	6.01363	6.01363	6.74863	52118	
योग					31.55069	0.00000	99.53522	99.53522	131.08591		
आवांठित राशि - ₹ निर्यातवे लाख त्रिरेपन हजार पाँच सौ बाईस मात्र।											

आवृत्ति राशि - ₹ निम्नानुसार लाख तिरपन हजार पाँच सौ बाईस मात्र।

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

68
81/10/2020